नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (भवन प्रकोष्ट) मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएड़ा

संख्या नोएड़ा/बी0सी0/बी0पी0/V-556/ 706 दिनांक :-97/2)

M/s. Chambal Tradings Pvt. Ltd. R/o. 59 World Trade Center Babar Road, New Delhi-110001.

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 13.04.2021 के सन्दर्भ में आपके संस्थागत भूखण्ड(आई0टी0/आई0टी0ई0एस0) सं0 ए—37 व ए—38, सैक्टर-62, नौएडा के पुनरीक्षित भवन मानचित्रों की स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती

- 1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
- 2. मानचित्रों की स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड़) नहीं माना
- 3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जाएगा।
- 4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मागा जाएगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 5. दरवाजे व खिडिकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक
- 6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 7. भवन सामाग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए।
- 8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया
- 9. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर भवन निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त मान
- 10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर किया
- 11. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार का पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे का अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
- 12. अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत
- 13. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनिधकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रष्नगत क्षेत्र की हाईडोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा ।
- 14. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए किसी भी दशा में भू-जल दोहन केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 15. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नौएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित् करनी होगी।
- 16. आबंटी संस्था अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने से पूर्व सेता Aत्तला विकासिक स्वीकृति मानिष्कित्र में दर्शायी गई सेवाओं को स्थापित करेगा । एसे न करने की दशा में सेवा तल के प्रभावित भाग को बित्ती भूव सूचना के मुख्य

Authorised Signatory

17. सन्दर्भित प्रकरण में अनुमन्य सुविधाओ पर किसी भी प्रकार की वाणिज्यक गतिवितिधयाँ अनुमन्य नहीं की जायेगी। स्थल पर वाणिज्यक गतिविधि किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

18. भवन स्वामी व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करानी सुनिश्चित करें। सडक पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें । उल्लंघन करने की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की

- 19. सन्दर्भित योजना में Solid waste disposal System को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने से पूर्व क्रियाशील करें।
- 20. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या 21/2014 में अलग-अलग तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव, कार्यालय उ०प्र० शासन के पत्रांक 1760/पी०एस०एम०एस०/2016 दिनाँक 18.11.2016 तथा विशेष सिचव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ-5-206-29रिट/2014 दिनाँक 08.11.2016 से जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन करना होगा:-
- 1. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.

2. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.

3. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.

4. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all

precautions taken in that behalf.

5. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

6. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.

7. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction

material and debris relatable to dust emission.

- 8. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this
- 9. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.

10. Wind breaking walls around construction site.

11. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.

12. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.

13. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.

14. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid

15. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.

16. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance Regular wehicle.td. inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.

Authorised Signatory

17. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.

18. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.

19. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.

20. Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State

Authorities by installing check booth at entry points.

21. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).

22. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

स्वीकृति मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 40000.00 वर्ग मी0

• अनुमन्य भू-आच्छादन क्षेत्रफल @30%

= 12000.00 वर्ग मी0

• आबंटन के समय अनुमन्य एफ0ए0आर0 @ 1.50 प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवाल विवरण निम्नानुसार है:-

= 60000.00 वर्ग मी0

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्रस्तावित एफ०ए०आर० क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्रस्तावित 15 प्रतिशत सेवा क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्रस्तावित नॉन एफ०ए०आर० क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
भूतल	12000.00	5556.84	332.16	
प्रथम तल	शेष एफ0ए0आर0	4499.36	426.65	225.45
द्वितीय तल		3432.30	376.75	523.22
तृतीय तल		3432.30	376.75	523.22
चर्तुथ तल		3432.30	376.75	523.22
पंचम तल		3060.14	376.75	895.37
छठवां तल		3060.14	376.75	486.32
सातवां तल		3060.14	. 376.75	486.32
आठवां तल(सेवा तल)				3436.81
नवां तल		3060.14	376.75	895.37
दसवां तल		3432.30	376.75	523.22
ग्यारहवां तल		3432.30	376.75	523.23
बारहवां तल		3432.30	376.75	523.23
तेरहवां तल(सेवा तल)				3748.59
चौदहवां तल		3200.00	376.75	486.32
पन्द्रहवां तल		3200.00	376.75	486.32
सोलहवां तल		. 3200.00	376.75	486.32
सतरवां तल		3200.60	376.75	756.31

अठरहवां तल	CL III	3432.30	376.75	523.22	
उन्नीसवां तल		876.53	192.26	182.83	
ममटी एवं मशीन रूम	22		304.38		
तहखाना तल-1		******	248.00	17330.00	
तहखाना तल-2			1640.00	15939.00	
कुल क्षेत्रफल (एफ०ए०आर० + सेवा क्षेत्रफल + नॉन एफ०ए०आर०) सहित	60000.00	59999.99	8794.70	49503.87	
कुल क्षेत्रफल (एफ०ए०आर० + सेवा क्षेत्रफल + नॉन एफ०ए०आर०) सहित	= 59999.99 + 8794.70 + 49503.87 = 118298.56 वर्ग मी0				

• प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल

• प्रस्तावित एफ०ए०आर०

= 5999.00 वर्ग मी0

= 59999.99 वर्ग मी0

भवदीय

Map for proposed Building is as per Bye Laws. Submitted for approval please.

Persons

Asstt. Arch

Architeca

नाम पद ७५ नौएडा

(इश्तियाक अहमर) (इश्तियाक (क्रियोजन) महाप्रवस्त्रक (क्रियोजन)

प्रतिलिपि:-

• विशेष कार्याधिकारी (संस्थागत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

• वरि० प्रबन्धक(व०स०-०४) को सूचनार्थ ।

For Anand Habitat Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory